

सन्दर्भ : बीसीसीएल/उप महा प्र. (प्रशा०)/सचि./एफ-174/2024/15

दिनांक : 29.04.2024
30


कार्यालय आदेश

In partial modification to office order no. बीसीसीएल/उप महा प्र. (प्रशा०)/सचि./एफ- 174/2024/03 dated 14.03.2024 regarding sanctioning of HRA to Executives, the following provisions of clause 4 (4.2) of Coal India Executive House Rent Allowance Rules 2010 for entitlement of HRA shall be implemented :

“An Executive who refuses or surrenders company’s accommodation offered to him shall not be eligible for House Rent Allowance except for executives who surrender the company’s accommodation to reside in the house owned by him/wife/children/father/mother” instead of

“Ownership of the house in the name of self or jointly with spouse or parents”.

Other terms & conditions will remain the same.


29.4.24.
उप महाप्रबंधक (का०)/विभागाध्यक्ष (प्रशासन)

प्रतिलिपि :

1. निदेशक (का०), बीसीसीएल -- के सादर सूचनार्थ
2. सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक बीसीसीएल
3. सभी महाप्रबंधक /विभागाध्यक्ष , कोयला भवन , मुख्यालय
4. महाप्रबंधक (का०/औ० सं०), कोयला भवन / महाप्रबंधक (वित्त), कोयला भवन
5. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक /निदेशक (तक.) संचालन /निदेशक (तक.) यो. एवं परि./निदेशक (कार्मिक)/मुख्य सतर्कता पदाधिकारी के तकनीकी सचिव
6. महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), कल्याण भवन/ मुख्य चिकित्सा सेवाएँ, केन्द्रीय चिकित्सालय, धनबाद / मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कोयला नगर अस्पताल
7. सभी क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक , बीसीसीएल
8. प्रबंधक (का०), कोयला नगर प्रशासन/ प्रबंधक (का०), भूली नगर प्रशासन
9. संचिका